

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 444 का उत्तर

रेलवे में क्षमता वृद्धि से संबंधित परियोजनाएं

*444. श्री अरुण भारती:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) रेलवे द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सुरक्षा और गति बढ़ाने के लिए क्षमता वृद्धि से संबंधित शुरू की गई परियोजनाओं का व्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और अब तक कितने प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया है;
- (ग) 'विकसित भारत' विजन के तहत अत्याधुनिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;
- (घ) सरकार द्वारा विशेषकर जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यात्री सुरक्षा, आराम और सुविधा के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
- (ङ) आगामी वित्त वर्ष में क्षमता विस्तार और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए रेलवे की भावी योजनाएं क्या हैं और उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 02.04.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 444 के भाग (क) से (ड) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ड): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृत/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/निर्वाचन क्षेत्र-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में, कुल 44,488 किलोमीटर कुल लंबाई वाली 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएँ (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण), जिनकी लागत लगभग ₹7.44 लाख करोड़ है, योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से, मार्च, 2024 तक 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और लगभग ₹2.92 लाख करोड़ का व्यय किया जा चुका है। इनका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी.)	मार्च 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	187	20,199	2,855	1,60,022
आमान परिवर्तन	40	4,719	2,972	18,706
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	261	19,570	6,218	1,13,742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

भारतीय रेल में नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नये रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी. प्रतिदिन
2014-24	31,180 कि.मी.	8.54 कि.मी. प्रतिदिन (2 गुना से अधिक)

रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में, भारतीय रेल में कुल 9,605 किलोमीटर लंबाई की 245 परियोजनाओं (46 नई लाइन, 18 आमान परिवर्तन और 181 दोहरीकरण) को स्वीकृति दी गई है, जिनकी लागत लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए है। इसमें 72,740 करोड़ रुपए लागत तथा कुल 2,803 किलोमीटर लंबाई की 63 परियोजनाएँ (19 नई लाइनें और 44 दोहरीकरण) शामिल हैं, जिनको वित्त वर्ष 2024-25 में स्वीकृत किया गया है।

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 72,818 किलोमीटर कुल लंबाई के 1033 सर्वेक्षण (313 नई लाइन, 13 आमान परिवर्तन और 707 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोनों के अन्तर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का लागत, व्यय और परिव्यय सहित जोन-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

बिहार:-

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, जमुई सहित बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 79,356 करोड़ रुपए लागत की 5,064 किलोमीटर कुल लंबाई वाली 55 परियोजनाएं (31 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 22 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं,

जिनमें से मार्च, 2024 तक 1,194 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 26,983 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। इसका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2024 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	31	2,712	464	13,629
आमान परिवर्तन	2	348	288	1,520
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	22	2,005	442	11,834
कुल	55	5,065	1,194	26,983

बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,132 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष
2025-26	10,066 करोड़ रुपए (लगभग 9 गुना)

2009-14 और 2014-2024 के दौरान बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	318 किलोमीटर	63.6 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-24	1,669 किलोमीटर	166.9 किलोमीटर प्रतिवर्ष (लगभग 3 गुना)

भारतीय रेल नेटवर्क पर जमुई स्टेशन, दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर किऊल और झाझा के बीच मौजूदा स्टेशन है। जमुई क्षेत्र में रेल संपर्क में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की गई हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु. में)
1	झाझा-बतिया नई लाइन	20	496
2	बैजनाथपुर-अंदौली और झाझा के बीच सरायगढ़ में बाईपास लाइन	5	79

वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान, बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले कुल 4,200 कि.मी. लंबाई के 77 सर्वेक्षण (13 नई लाइन और 64 दोहरीकरण/मल्टी ट्रैकिंग) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें जमुई में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले निम्नलिखित सर्वेक्षण शामिल हैं:-

- (i) सीतारामपुर से झाझा (चौथी लाइन) - 154 कि.मी.
- (ii) झाझा के रास्ते सीतारामपुर से किऊल (तीसरी लाइन) - 199 कि.मी.।

विकसित भारत

विकसित भारत 2047 की खोज में, भारतीय रेल आधुनिकीकरण और प्रगति के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करते हुए अपनी परिवर्तनकारी यात्रा को जारी रखे हुए है। विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव, माल ढुलाई दक्षता को बढ़ाने और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर बल देते हुए, रेलवे ने राष्ट्रीय प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत किया है। आधुनिक स्टेशनों, अत्याधुनिक रेलगाड़ियों और नवोन्मेषी संरक्षा प्रणालियाँ रेल यात्रा के परिवृश्य को नया आकार दे रही हैं। संधारणीयता के लिए प्रतिबद्ध, रेलवे व्यापक अवसंरचना के उन्नयन और क्षमता निर्माण के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए लगातार हरित संचालन की ओर बढ़ रही है। रेलवे क्षेत्र में 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयास इस प्रकार हैं:

- (i) रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंच में सुधार, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुर लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्मों की सतह तथा प्लेटफॉर्मों पर छत, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए 1,337 रेलवे स्टेशनों पर कार्य शुरू किया गया है।
- (ii) रेलवे टर्मिनलों पर दक्षता बढ़ाने के लिए 2022 में "गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)" नीति शुरू की गई है। अब तक, 97 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को पहले ही कमीशन किया जा चुका है।
- (iii) परिवहन क्षमता में वृद्धि, तेज पारवहन समय और उच्च औसत गति, डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ियों के संचलन में वृद्धि, उद्योगों तक बेहतर रेल संपर्क और कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का लाभ उठाने के लिए, भारतीय रेल ने दो समर्पित माल यातायात गलियारों अर्थात् पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारा और पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारा का निर्माण शुरू किया है। अब तक, 2,843 किलोमीटर में से कुल 2,741 किलोमीटर गलियारों को कमीशन कर दिया गया है।
- (iv) मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना शुरू की गई है जो गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरती

है। परियोजना की लंबाई 508 किलोमीटर है जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरुच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती में 12 स्टेशन बनाने की योजना है।

- (v) भारतीय रेल ने अपने बड़ी लाइन नेटवर्क का लगभग 98% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। पर्यावरणीय संधारणीयता और कार्बन उत्सर्जन में कमी के अलावा, रेल विद्युतीकरण समग्र परिवहन दक्षता, लागत में कमी, तेल आयात और विदेशी मुद्रा की बचत में भी योगदान देगा।
- (vi) चलती रेलगाड़ियों की संरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिक सिगनल प्रणालियों की संस्थापना और स्वयं की स्वचालित रेलगाड़ी रक्षण प्रणाली "कवच" का विकास और कमीशनिंग कार्य भी शुरू किया गया है।

रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण और संरक्षा में सुधार लाना सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है। भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:-

- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल पर संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय में बढ़ोत्तरी की गई है, जो निम्नानुसार है:

संरक्षा संबंधी कार्यकलापों पर व्यय (करोड़ रुपए में)					
	2013-14 (वास्तविक)	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (वास्तविक)	संशोधित अनुमान 2024-25	बजट अनुमान 2025-26
रेलपथ का अनुरक्षण और निर्माण कार्य	9172	18,115	20,322	21,800	23,316
रेल इंजनों और चल स्टॉक का अनुरक्षण	14796	27,086	30,864	31,540	30,666

मशीनों का अनुरक्षण	5406	9,828	10,772	12,112	12,880
सड़क संरक्षा समापार और ऊपरी/निचले सड़क पुल	1986	5,347	6,662	8,184	7,706
रेलपथ नवीकरण	4985	16,326	17,850	22,669	22,800
पुल संबंधी कार्य	390	1,050	1,907	2,130	2,169
सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य	905	2,456	3,751	6,006	6,800
उत्पादन इकाइयों सहित कारखानों तथा संरक्षा पर विविध व्यय	1823	7,119	9,523	9,581	10,134
कुल	39463	87,327	1,01,651	1,14,022	1,16,470

2. मानवीय विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाएं कम करने के लिए 28.02.2025 तक 6,623 स्टेशनों पर प्वाइंटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन वाली इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
3. समापार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 28.02.2025 तक 11,089 समापार फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।
4. संरक्षा बढ़ाने के लिए 28.02.2025 तक 6,631 स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन के लिए स्टेशनों के पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।
5. कवच अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसके लिए सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय स्वचालित रेलगाड़ी रक्षण (एटीपी) प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। कवच प्रणाली की उत्तरोत्तर चरणबद्ध रूप में व्यवस्था की जा रही है है। कवच को पहले ही दक्षिण मध्य रेल और उत्तर मध्य रेलवे के 1548 मार्ग किलोमीटर पर संस्थापित किया जा चुका है। वर्तमान में, दिल्ली-

मुंबई और दिल्ली-हावड़ा गलियारों (लगभग 3000 मार्ग किमी) पर कार्य प्रगति पर है।

इन रेलमार्गों पर लगभग 2066 मार्ग किमी पर रेलपथ साइड कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

इन खंडों पर नियमित परीक्षण किए जा रहे हैं।

6. सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मामलों जैसे अनिवार्य साम्यता जांच, परिवर्तन कार्य संबंधी प्रोटोकॉल, पूर्ण हो चुके कार्यों के रेखांकन तैयार करने आदि पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
7. प्रोटोकॉल के अनुसार सिगनल एवं दूरसंचार उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः जोर दिया गया है।
8. लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।
9. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो ओएचई मास्ट पहले स्थित होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी मिल सके।
10. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) की व्यवस्था की जाती है जिससे लोको पायलट को आने वाले मुख्य स्थलों यथा सिगनल, रेल फाटकों आदि की दूरी का पता लग जाता है।
11. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 किग्रा की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रंथ (यूटीएस) पटरियां, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) लोचदार बंधन वाले सामान्य/चौड़ी सतह के स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर फैनशेप्ड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है।
12. मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।

13. संरक्षा बेहतर करने के लिए रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना।
14. पटरियों में दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए रेल की अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन परीक्षण (यूएसएफडी)।
15. लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग के उपयोग को कम करना और रेलपथों के लिए बेहतर वैल्डिंग प्रौद्योगिकियों अर्थात् फ्लैश बट वेल्डिंग अपनाना।
16. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ रिकॉर्डिंग कारों) द्वारा रेलपथ ज्यामिति की निगरानी।
17. वेल्ड/पटरियों की टूट-फूट का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर पेट्रोलिंग।
18. टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।
19. संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों की जाँच करने और उन्हें जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण।
20. युक्तिसंगत अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता और इनपुट के इष्टतमीकरण से संबंधित निर्णय लेने के लिए ट्रैक डाटाबेस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है।
21. रेलपथ की संरक्षा से संबंधित मामलों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्य साइट पर संरक्षा, मानसून संबंधी सावधानियों आदि पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
22. गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण।
23. पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन के रेल डिब्बों के स्थान पर एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं।

24.जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर सभी चौकीदार रहित समपारों (यूएमएलसी) को समाप्त कर दिया गया है।

25.पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान स्थितियों के आकलन के आधार पर पुलों का मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है।

26.भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक “आग संबंधी सूचनाएं” लगाई हैं। सभी डिब्बों में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग से बचने के लिए ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ संबंधी विभिन्न दिशानिर्देशों के बारे में सूचित और सतर्क किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को साथ न ले जाने, धूम्रपान न करने, जुर्माना आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।

27.उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और पैन्ट्री कारों में अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में अग्नि एवं धुआं संसूचन प्रणाली की व्यवस्था कर रही हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूदा सवारी डिब्बों में चरणबद्ध तरीकों से प्रोग्रेसिव फिटमेन्ट का कार्य भी चालू है।

28.कर्मचारियों की नियमित काउन्सलिंग की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

29.दिनांक 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत भारतीय रेल (ओपन लाइनें) सामान्य नियमों में रोलिंग ब्लॉक की अवधारणा को समाविष्ट किया गया है, जिसमें परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन के कार्य को रोलिंग आधार पर

52 सप्ताह पूर्व ही नियोजित किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

रेलवे द्वारा किए गए बेहतर अनुरक्षण पद्धतियों, प्रौद्योगिकीय सुधारों, बेहतर अवसंरचना और चल स्टॉक आदि से संबंधित संरक्षा कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:-

क्र.सं.	मद	2004-05 से 2013-14	2014-15 से 2024-25 (जनवरी 2025 तक)	2004-14 की तुलना में 2014-25
प्रौद्योगिकीय सुधार				
1	उच्च गुणवत्ता वाली पटरियों का उपयोग (60 कि.ग्रा.) (कि.मी.)	57,450 कि.मी.	1.4 लाख कि.मी.	2 गुना से अधिक
2	लंबी रेल पटरियां (260 मीटर) (कि.मी.)	9,917 कि.मी.	76,000 कि.मी.	7 गुना से अधिक
3	इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग (स्टेशन)	837 स्टेशन	3,243 स्टेशन	4 गुना
4	फॉग पास सेफ्टी उपकरण (अदद)	31.03.14 तक: 90	31.01.25 तक: 25,293	281 गुना
5	थिक वेब स्विच (अदद)	शून्य	27,079 अदद	
बेहतर अनुरक्षण पद्धतियां				
1	प्राथमिक रेल नवीकरण (रेलपथ कि.मी.)	32,260 कि.मी.	49,000 कि.मी.	1.5 गुना
2	यूएसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) वेल्डिंग परीक्षण (अदद)	79.43 लाख	1.9 करोड़	2 गुना से अधिक
3	वेल्ड संबंधी विफलताएं (अदद)	2013-14 में: 3699 अदद	2024-25 में: 301 अदद	92% कमी
4	पटरियों में दरारें (अदद)	2013-14 में: 2548 अदद	2024-25 में: 243 अदद	91% कमी

बेहतर अवसंरचना एवं चल स्टॉक				
1	जोड़े गए नए रेलपथ कि.मी. (रेलपथ कि.मी.)	14,985 अदद	34,000 कि.मी.	2 गुना से अधिक
2	फ्लाईओवर (आरओबी)/ अंडरपास (आरयूबी) (अदद)	4,148 अदद	12,771 अदद	3 गुना से अधिक
3	बड़ी लाइन पर चौकीदार रहित सम्पार (अदद)	31.03.14 तक: 8948	31.03.24 तक: शून्य (31.01.19 तक सभी बंद कर दिए गए)	हटा दिए गए
4	एलएचबी सवारी डिब्बों का निर्माण (अदद)	2,337 अदद	41,551	17 गुना से अधिक

बिहार राज्य के जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित जमुई और सिमुलतला रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किया गया है। इन स्टेशनों पर विकास कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं और निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। जमुई स्टेशन पर, चारदीवारी का निर्माण और पुराने क्वार्टरों को ध्वस्त करने का कार्य पूरा हो चुका है और नए स्टेशन भवन का निर्माण, परिचलन क्षेत्र में सुधार आदि का कार्य शुरू किया गया है।

सिमुलतला स्टेशन पर, द्वितीय प्रवेश द्वार की ओर नए स्टेशन भवन का निर्माण, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफार्म का विस्तार, प्लेटफार्म की सतह में सुधार, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र और अतिरिक्त प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा उन्नत संकेतकों और प्रकाश व्यवस्था के लिए कार्य शुरू किए गए हैं।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को विकास के लिए चिह्नित किया गया है, जिनमें से जमुई और सिमुलतला स्टेशनों सहित 98 रेलवे स्टेशन बिहार राज्य में स्थित हैं। इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए बिहार राज्य में चिह्नित स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
बिहार	98	अनुग्रह नारायण रोड, आरा, अररिया कोर्ट, बछितयारपुर, बांका, बनमनखी, बापूधाम मोतिहारी, बड़हिया, बरौनी, बाढ़, बरसोई जंक्शन, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ रोड, भागलपुर, भगवानपुर, बिहारशरीफ, बिहिया, बिक्रमगंज, बक्सर, चकिया, चौसा, छपरा, दलसिंह सराय, दरभंगा, दौराम मधेपुरा, डेहरी ऑन सोन, ढोली, दिघवारा, डुमरांव, दुर्गावती, एकमा, फतुहा, गया, घोड़ासहन, गुरारू, हाजीपुर जंक्शन, जमालपुर, जमुई, जनकपुर रोड, जयनगर, जहानाबाद, झंझारपुर, कहलगांव, करागोला रोड, कटिहार, खगड़िया जंक्शन, किशनगंज, कुदरा, लाभा, लहेरिया सराय, लखीसराय, लखीमिनिया, मधुबनी, महेशखुंट, मैरवा, मानसी जंक्शन, मोकामा, मोतीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नबीनगर रोड, नरकटियांगंज, नौगछिया, नवादा, पहाड़पुर, पाटलीपुत्र, पटना, पीरो, पीरपेंती, रफीगंज, रघुनाथपुर, राजेंद्र नगर, राजगीर, राम दयालु नगर, रक्सौल, सबौर, सगौली, सहरसा, साहिबपुर कमल, सकरी, सलौना, सलमारी, समस्तीपुर, सासाराम, शाहपुर पटोरी, शिवनारायणपुर, सिमरी बछितयारपुर, सिमुलतला, सीतामढ़ी, सीवान, सोनपुर ज., सुल्तानगंज, सुपौल, तरेगना, ठाकुरगंज, थावे

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक इष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन का सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों ओर के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

भारतीय रेल में सुविधाओं का प्रावधान/उन्नयन और स्टेशनों का विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में निर्माण कार्य उनकी परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/उन्नयन के लिए कार्यों को मंजूरी देते और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के विकास/उन्नयन कार्य सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाते हैं। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत

आवंटन का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। बिहार राज्य चार जोनों अर्थात् पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अंतर्गत आता है। इन जोनों के लिए, योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,111 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आवंटन किया गया है।

यात्रियों की संरक्षा के लिए जमुई और झाझा रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी पांच स्टेशनों अर्थात् जमुई, झाझा, गिरधौर, चौरा और दादपुर पर यात्री सुविधाएं अर्थात् वाई-फाई, जन उद्घोषणा प्रणाली उपलब्ध कराई गई हैं। यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए जमुई और झाझा रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड और कोच इंडिकेशन बोर्ड उपलब्ध हैं। झाझा रेलवे स्टेशन पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराए गए हैं।

भारतीय रेल विभिन्न प्रकार की नियमित समय-सारणी वाली रेलगाड़ियों का संचालन करती है जैसे उपनगरीय, कम दूरी की यात्री रेलगाड़ियां, लंबी दूरी/मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट रेलगाड़ियां जो विभिन्न यात्री वर्गों के लिए विभिन्न संरचना के साथ चलती हैं। इसके अलावा, अपनी वहन क्षमता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास में, भारतीय रेल नई सेवाएं शुरू करती है, आवृत्ति बढ़ाती है और मौजूदा सेवाओं में सवारी डिब्बे भी जोड़ती है। भारतीय रेल त्योहारों, छुट्टियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए या पर्यटन और तीर्थयात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटक महत्व के स्थलों के लिए स्पेशल रेलगाड़ियां भी चलाती हैं। ये भारतीय रेल में यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन, सतत प्रक्रियाएं हैं।
